मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

क्रमांक 1800 स्था/प्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक 26 SEP 2016

-: कार्यालय आदेश :-

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित (प्रतीक्षा सूची) उम्मीदवारों को म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल में तृतीय श्रेणी (तकनीकी) के तहत् उपयंत्री के पद पर वेतन बैंड रूपये 9300-34800+3200 (ग्रेड पे) पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन स्थानापन्न नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	आवेदक का नाम एवं पता	वर्ग
1	सुश्री अपर्णा त्रिपाठी, पुत्री श्री राजा भैया त्रिपाठी, 38 केएच, शेरगंज, ग्राम शेरगंज, रघुराजनगर, जिला सतना 485441	अनारक्षित
2	सुश्री नीलम भंवर, पुत्री श्री मगन सिंह भंवर, एमआईजी-सेकेण्ड, 208 मांडू लिंक रोड़, दीनदयाल पुरम, जिला धार 454001	अ०ज०जा०

1 समस्त चयनित आवेदक, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, मुख्यालय भोपाल में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 3/10/2016 को उपस्थित होना होगा समयावधि में ज्वाईन नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

2 उपरोक्त कर्मचारियों के मुख्यालय में प्रशिक्षण उपरांत पदस्थापना संबंधी पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।

3 उपरोक्त वेतन बैंड के साथ-साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

4 वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा दोनो पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन भत्ते यथा स्थिति देय अथवा वसूली योग्य होंगें।

5 कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को आप स्थानीय सिविल सर्जन से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिए उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र, संलग्न प्रपत्र अनुसार रूपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर साथ में लायें ।

6 आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कराया जावेगा यदि किसी प्रकार की असत्य या भ्रामक जानकारी पाई जाती है तो तत्काल आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

7 परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना सूचना के सेवा समाप्त की जावेगी।

8 यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

9 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

10 चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11 चयनित आवेदकों के परीवीक्षा अवधि में बिना अवकाश स्वीकृति के कार्य से अनुपस्थित रहने पर बिना सूचना के सेवा समाप्त की जायेगी।

संलग्नः-   प्रपत्र

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क0 1801 स्था/प्रनिबो/2016   भोपाल, दिनांक 26 SEP 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासकीय अधिकारी/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सर्व संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।